POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2015 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद गरीबी व्याप्त है। ज्यादातर लोगों के पास जमीन नहीं है। सन् 2000 के आंकड़ों के अनुसार अगर जोती गई जमीन के आधार पर ग्रामीण मजदूर परिवारों को बांटा जाए, तो तकरीबन 59 फीसदी परिवारों के पास जमीन नहीं है।

करीब 28 फीसदी सीमांत किसान परिवार है, जिनके पास 0.01 से 0.40 हेक्टेयर तक जोतने लायक जमीन है। कुल मिला कर ऐसे परिवारों का आंकड़ा 87 फीसदी पहुंचता है। शेष रहे 13 फीसदी किसानों के पास खेती की जमीन है।

जमीन अधिग्रहण आध्यादेश 2014 में जमीन रखने वाले इन 13 फीसदी किसानों को लेकर बेवजह बवाल क्यों मचा हुआ है? जबकि इस विधेयक को तैयार करने वालों ने अपने संशोधन में भूमिहीन मजदूरों को नौकरी देने की बात की है, न कि किसानों को।

देश में ज्यादातर कृषि मजदूर या तो दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं या बंटाईदार, जिनकी कमाई बेहद कम है। यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए क्षतिपूर्ति के प्रावधान बेतुके थे। दरअसल, ऐसे मामलों में खरीददार को विक्रेता से बात करके उसे सबसे अच्छा प्रस्ताव देना होता है। सेज पर किए गए 'कट्स' इंटरनेशनल के अध्ययन बताते हैं कि किसान जमीन अच्छे दाम पर बेचने से खुश होते हैं।

आने वाले समय में युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर जुटाना क्या चिंता का सबब नहीं बनेगा ? मनरेगा की लोकप्रियता की यह भी एक वजह रही है और सरकार ने इसे बरकरार रखने का फैसला लिया है। ऐसे में यह कहना कि सरकार व्यापार समर्थक और गरीब विरोधी है, गलत है।

विनिर्माण और बुनियादी संरचना के क्षेत्र में सुधार करने पर ही इससे उबरना संभव है। सरकार को नए रोजगारों के सृजन, गरीबी उन्मूलन और विकास के मोर्चे पर काम करना ही होगा। मद्देनजर, नए आध्यादेश में अनेक सुधार किए गए हैं।

मेरा मानना है, नीति निर्माण में सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए कि संसाधनों और देश के हालात को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बने जिससे सभी पक्षों को अधिकतम मुमकिन फायदा मिले।

मद्देनजर, स्वतंत्र भूमि विनियामक की व्यवस्था कर इसे और ज्यादा कारगर बनाया जा सकता है, जो सरकार व निहित स्वार्थों से दूरी बनाए रखते हुए जमीन मालिकों को बेहतर सौदा दिलाने में मददगार हो सके।

बैडशीट का कलर उतरा, देना होगा हर्जाना

जयपुर में चांदी की टकसाल निवासी कमल सोनी ने सुभाष चौक चाणक्य मार्ग स्थित एच.सी मल्होत्रा हैण्डलूम के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने एच.सी.मल्होत्रा हैण्डलूम की दुकान से 290 रुपए की एक बैडशीट खरीदी थी। दुकानदार ने उन्हें इस बात की गारंटी दी थी कि बैडशीट का रंग पक्का है, धुलाई पर उसका कलर नहीं उतरेगा। जबकि पहली धुलाई में ही बैडशीट का कलर उतर गया। वह इसकी शिकायत लेकर दुकानदार के पास गए, लेकिन उन्हें कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। मजबूरन उन्हें उपभोक्ता मंच में न्याय प्राप्ति के लिए मामला दर्ज कराना पड़ा है।

मामले की सुनवाई के लिए मंच ने दुकानदार को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भिजवाया, लेकिन दुकानदार स्वयं अथवा उसका कोई अन्य प्रतिनिधि मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसपर मंच ने एक तरफा फैसला देते हुए एच.सी. मल्होत्रा हैण्डलूम के मालिक को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता कमल सोनी को बैडशीट की कीमत लौटाने के साथ 3500 रुपए मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में तथा 1500 रुपए परिवाद खर्च के अदा करे।

उपभोक्ता होगा अधिक सशक्त

केन्द्र सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश इसी सत्र में उपभोक्ता संरक्षण कानून संशोधन विधेयक लाने की है। इस नए कानून के तहत उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निपटान हो सकेगा।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून कुछ हद तक अमरीका व यूरोपीय देशों जैसा होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार से बचाना है।

गांवों में टैंकरों से बुझेगी प्यास

हर साल पेयजल योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद प्रदेश के 7000 गांव और 26 शहरों में इस साल गर्मियों में पीने के पानी का संकट रहेगा। हर साल गांव व शहरों में टैंकरों से होने वाली पेयजल की सप्लाई में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं।

हर बार सरकार व विभाग की ओर से दावे किए जाते रहे हैं कि टैंकर व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्मियों में पानी की किल्लत सामने आती है, जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों से पानी सप्लाई के लिए टैण्डर कर लिए जाते हैं। जबकि गांवों में जरूरतमंदों तक पानी नहीं पहुंचता।

इस बार फिर इन गांवों में टैंकरों के माध्यम से ही पेयजल मुहैया कराया जाएगा। पानी सप्लाई की मॉनिटरिंग का जिम्मा जिला कलक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास रहेगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अति लघु उद्यमियों और कारोबारियों को संस्थागत व किफायती दरों पर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि विकास योजनाओं के केन्द्र में युवा शक्ति होनी चाहिए। योजना के तहत अति लघु उद्यमियों व कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा।

इसके तहत शिशु कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 हजार रुपए, किशोर के तहत 50 हजार से 5 लाख रुपए तक और युवा के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण मिलेगा। इससे छोटे-छोटे काम करने वाले उद्यमियों के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना सबको पसंद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटियों के लिए लॉन्च की गई सुकन्या समृद्धि योजना प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रही है। योजना के शुरू होते ही प्रदेश के डाकघरों में 5000 से ज्यादा खाते खुल गए और यह क्रम अभी जारी है। सरकारी बैंकों में भी यह खाता खोला जा सकता है।

योजना के तहत शून्य से लेकर दस साल तक की बेटियों के खाते खोले जा सकते हैं। खाते में जमा राशि पर 9.1 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। इससे होने वाली आय और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि आयकर से मुक्त है। बिटिया के 18 साल की होने पर शिक्षा या विवाह के लिए राशि निकाली जा सकेगी।

नहीं करे सार्वजनिक सम्पति को गंदा

ग्रामीण हो या शहरी सभी को सतर्क रहना होगा। अब पार्क, दफ्तर, सड़क, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन या किसी अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को खराब व गंदा करना भारी पड़ेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने, गंदगी फैलाने, पोस्टर आदि चिपकाने पर दो साल तक की सजा और 20 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। स्वायत शासन विभाग इसके लिए सार्वजनिक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 में संशोधन करने जा रहा है।

प्रस्तावित बिल विधानसभा में पेश हो चुका है। अभी सार्वजनिक सम्पत्ति को गंदा करने वालों पर 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना और एक महीने की सजा का प्रावधान है।

साहब करेंगे गांवों में रात्रि विश्राम

सुशासन और आम जन की सुनवाई कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने अधिकारियों के लिए गांवों तक दौरे, निरीक्षण और रात्रि विश्राम के कायदे तय कर रखे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर विभागों के सचिवों को हर माह में दो दिवसीय निरीक्षण और रात्रि विश्राम जरूरी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कई आला अधिकारी तो बाहर निकलते ही नहीं है।

कई बार यह केवल औपचारिकता बन कर रह जाते हैं। मद्देनजर अब सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। अब सचिवालय में बैठने वाले अफसर हों या जिला कलक्टर और उनके मातहत, सभी के लिए निरीक्षण और गांवों में रात्रि विश्राम करना आवश्यक होगा। सभी अफसरों को अपने दौरों का ब्योरा हर महीने राजस्थान सम्पर्क पोर्टर पर अपलोड करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर अफसर खुद पकड़ में आ जाएंगे।

तोड़ें निर्धनता का चक्रव्यूह

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं अपने गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ें और छोटी-छोटी बचत के साथ ही स्थाई आजीविका का सृजन कर निर्धनता से छुटकारा पाएं।

इस साल बजट में 15 हजार नए स्वयं सहायता समूहों का गठन कर दो लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं देती हैं।

गांव की बहुएं लाई बदलाव

आठवीं पास गांव की बहुओं ने एक साल में 4330 टीबी रोगियों को निरोगी बना दिया। यह आठवीं पास महिलाएं स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और स्वच्छ परियोजना से जुड़ी है। वें सिर्फ दो दिन की ट्रेनिंग लेकर 1500 रुपए मासिक वेतन पर टीबी को नियंत्रित करने में जुटी हैं।

उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में ऐसी 4350 स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात हैं, जो गांवों तक मरीजों की पहचान, उनकी जांच से लेकर पूरा इलाज कराने तक की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं।

मरीजों को दवा दिलाना, नियमित मॉनिटरिंग करने और छह माह बाद फिर से जांच करा कर रोगियों पर पूरी निगाह रखना उनकी आदत बन गई है। उनका कहना है कि 6 से 8 माह तक नियमित दवा की डोज से टीबी को कन्ट्रोल किया जा सकता है।

किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसल खराब होने से परेशान किसानों के लिए दो बड़े एलान किए हैं।

उन्होंने किसानों का मुआवजा पहले के मुकाबले डेढ़ गुना बढ़ाते हुए मुआवजा देने की शर्तों में भी किसान हितों के मद्देनजर बदलाव किया है। जिसमें फसल खराबे की गणना 50 फीसदी से घटाकर 30 प्रतिशत करने की सबसे बड़ी घोषणा है। उन्होंने बैंकों से किसानों के ऋण का पुनर्गठन करने और बीमा कंपनियों से उनके बीमा दावों का त्वरित निपटारा करने को कहा है।

बजट पर हो सही अमल

आम लोगों तक आधारभूत सुविधाओं की पहुंच को ध्यान में रख कर आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्र व राज्य सरकारें इनके लिए हर साल बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान करती हैं। लेकिन सरकार के कागजों और व्यवहारिक रूप में बहुत बड़ा अन्तर रहता है।

जनकल्याण की जो भावना बजट के समय दिखाई पड़ती है वह आम जन के लिए मात्र एक सपना बन कर रह जाती है। क्योंकि, सरकारी नौकरशाही घोषणाओं पर समयबद्ध रूप से अमल नहीं करती। सरकारी सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आवंटित बजट का काफी हिस्सा बीच में ही हजम हो जाता है। जनसेवकों को इस पर नजर रखनी चाहिए।

- लक्ष्मण सिंह, ब्यावर

भामाशाह कार्ड से स्वास्थ्य बीमा लाभ

प्रदेशवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लेना अब आर्थिक बोझ नहीं होगा। सरकार इसी दिशा में स्वास्थ्य बीमा योजना ला रही है। इस योजना को भामाशाह कार्ड योजना से भी जोड़ा जाएगा। इससे आगे आने वाले सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों भामाशाह योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस कार्ड के जरिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार का अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। इससे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी और सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों का बोझ भी कम होगा।

मध्यम आय वर्ग आयोग का गठन

प्रदेश में मिडिल क्लास परिवारों के समग्र विकास के लिए राजस्थान राज्य मध्यम वर्ग आयोग का गठन होगा। आयोग का प्रारूप तैयार करने के लिए पिछले दिनों सचिवालय में आयोजित एक बैठक में चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा है कि यह आयोग ऐसे परिवारों के पिछड़ेपन के कारणों व उनके विकास से संबंधित सुझाव एवं सिफारिशें राज्य सरकार को देगा।

पेयजल योजनाओं में घोटाला

जलदाय विभाग के दौसा खण्ड में पिछले तीन सालों से लगातार पेयजल योजनाओं में 235 करोड़ रुपए के घोटाले की आवाज स्थानीय जन समुदाय द्वारा उठाई जाती रही, लेकिन उच्च पदों पर बैठे अधिकारी मामले को दबाते रहे। हाल ही हुए खुलासे से सामने आया है कि वर्ष 2012 से लगातार गड़बड़ियां होती रही, लेकिन तत्कालीन एक्सईएन की राजनीतिक पहुंच होने से मामले को दबाया जाता रहा।

घोटाले में कई और आला अफसरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच कराने का फैसला लिया है। जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा है कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर